न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

1. सम्पत सिंह
2. महेन्द्र सिंह
3. रघुनाथ सिंह
4. डाल सिंह
5. उदय सिंह
6. भंवरी देवी
7. स्लोचना कंवर
8. संतोष कंवर

पुत्र/ पुत्रींयान श्री रामचन्द्र सिंह चौहान जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 10 रतननगर तह. व जिला चुरू

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. विमला देवी बेवा मनीशंकर
2. कृष्ण कुमार
3. शुभकरण
4. बीरबल
5. देवीदत्त
6. गिरधारी
7. इमरती
8. मुन्नी
9. गीता
10. सुशीला

पुत्र/ पुत्रीयां मनीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी लालासर पट्टा राजपुरा, जिला चुरू

11. उपपंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.........अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

<u>आदेश</u> दिनांक 19/12/2017

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उसके पिता रामचन्द्र सिंह जरिये इकरारनामा चक 15 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 10/64 में कि.न. 11 ता 25 की कुल 15.00 बीघा कमाण्ड/ अनकमाण्ड कृषि भूमि अप्रार्थीगण के पिता मनीशंकर पुत्र रामकुमार ब्राहम्ण के नाम पुख्ता आंवटित थी को जरिये इकरारनामा दिनांक 27.04.1989 को खरीद किया और इसी रोज सौदा की राशि 21000 रूपये अखरे अदा कर इकरारनामा और मुक्तयारनामा लिखित कर नोटेरी से तस्दीक करवा लिया तथा भूमि का भौतिक कब्जा प्रार्थीगण के पिता को सौंप दिया। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है तब से लेकर आज तक भूमि पर हमारा कब्जा है एव हम काश्त कर रहे है।

19/12

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)

अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब में कथन किया कि उनके पिता ने कभी भूमि प्रार्थीगण के पिता को नहीं बेची है। भूमि पर प्रार्थीगण का आज भी कब्जा है और ग्वार की फसल मौके पर खड़ी है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.07.2017 निरस्त फरमाया जावे।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबधित वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 189, 92ए आर.टी.एक्ट. का है। प्रार्थना पत्र एवं उसके संलग्न दस्तावेज तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहे एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में नहीं है।

अतः इस न्यायालय द्वारा जारी की गयी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 12.07.2017 निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला